उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विका अनुभाग–4
संख्या–3755/77–4–2023/32गीडा/2020
लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2023

रमन कुमार साहनी पुत्र स्व0 मेहर चन्द साहनी एवं
श्रीमती सीमा मिश्रा (निदेशक) मेसर्स श्री ज्ञान गंगा एरिगेशन प्रा0लि0 पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका श्री रमन कुमार साहनी पुत्र स्व0 मेहरचन्द साहनी एवं श्रीमती सीमा मिश्रा (निदेशक) मे0 श्री ज्ञान गंगा एरिगेशन प्रा0लि0 द्वारा संयुक्त रूप से निरस्तीकरण आदेश 05.01.2019 के विरूद्ध दाखिल की गई है।

संक्षेप में प्रार्थीगणों द्वारा यह कहा गया है कि भूखण्ड संख्या–ए–1/12बी, सेक्टर–15 क्षेत्रफल 4678 वर्ग मी0 का आवंटन श्री रमन कुमार साहनी के पक्ष में दिनांक 27.09.2006 को हुआ था। श्री साहनी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त कर दिया था। तदोपरान्त कतिपय कारणों से श्री रमन कुमार साहनी इस प्लाट को श्रीमती सीमा मिश्रा को हस्तांतरित करना चाहते थे। इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य इकरार भी हुआ था एवं उनके द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2013 को प्राधिकरण को दे दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा उन्हें समय–समय पर हस्तांतरण शुल्क जमा कराने के लिए पत्र प्रेषित किए गए एवं अन्तिम रूप से दिनांक 18.11.2013 को कुल रू0 19,02,470.00 पृथक–पृथक मद में जमा कराने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थीगणों का यह कहना है कि उन्होनें प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण कार्य जारी रखा, जिसे परोक्ष रूप से गीडा की सहमति ही समझना चाहिए एवं तदनुसार निरस्तीकरण का आदेश जो दिनांक 05.01.2019 को पारित किया गया है, वह विधि के अनुसार नहीं है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा यह मांग की गई है, कि निरस्तीकरण आदेश दिनांक 05.01.2019 निरस्त कर प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थीगणों को उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्तुत रिवीजन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा से आख्या प्राप्त की गई, जो उनके पत्र दिनांक 25.11.2020 के द्वारा प्राप्त हुई है। प्राधिकरण द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि इस भूखण्ड का आवंटन दिनांक 27.09.2006 को आवेदक संख्या–1 के पक्ष में किया गया था। अनुज्ञप्ति अनुबन्ध की शर्त संख्या–1 व 2 के अनुसार आवंटित भूखण्ड पर 24 माह के अन्दर निर्माण कराकर उत्पादन किया जाना अनिवार्य था किन्तु आवेदक द्वारा दिनांक 05.01.2019 तक उत्पादन प्रारम्भ करने की कोई कार्यवाही नहीं की

गई। आवेदक को भूखण्ड स्थानान्तरण के संबंध में स्थानान्तरण शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क की भी जानकारी दी गई। किन्तु उनके द्वारा धनराशि न तो जमा कराई गई एवं न कोई औपचारिकता पूर्ण की गई।

प्राधिकरण द्वारा यह भी कहा गया है कि भूखण्ड को निरस्त करने से पूर्व संबंधित सहायक प्रबन्धक (सिविल) से औद्योगिक सेक्टर–13 एवं 15 में रिक्त भूखण्ड का निरीक्षण कराया गया था जिसमें इस भूखण्ड पर मात्र बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस भूखण्ड पर उद्योग स्थापित नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा इस भूखण्ड के भौतिक सत्यापन से संबंधित फोटोग्राफ भी अपने पत्र दिनांक 08.04.2022 के द्वारा उपलब्ध कराये हैं।

रिवीजन के संबंध में मेरे स्तर पर सुनवाई दिनांक 09.05.2023 को की गई जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री प्रकाश मिश्र, मे0 श्री ज्ञान गंगा एरिगेशन प्रा0लि0 एवं प्राधिकरण की ओर से श्री रविन्द्र सिंह, प्रबन्धक (सामान्य प्रशासन) उपस्थित रहे।

उभय पक्षों की विस्तृत सुनवाई तथा पुनरीक्षण कर्ता द्वारा अपनी याचिका तथा सुनवाई के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों तथा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के संबंध में निम्न स्थिति स्पष्ट हो रही है:–

1. प्रश्नगत भूखण्ड पुनरीक्षणकर्ता श्री रमन कुमार साहनी को आवंटित किया गया था। श्रीमती सीमा मिश्रा (निदेशक) मे0 श्री ज्ञान गंगा एरिगेशन प्रा0लि0 इस भूखण्ड की कभी भी आवंटी नहीं रहीं है।
2. इस भूखण्ड के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता न0 1 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता न0 2 को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में हस्तांतरण शुल्क एवं अन्य शुल्क की मद में कुल रू0 19,02,141.00 जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा इस संबंध में पूरा शुल्क जमा नहीं कराया गया।
3. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गीडा द्वारा दिनांक 07.04.2022 को भूखण्ड के स्थलीय निरीक्षण में मात्र 181 वर्ग मी0 पर भवन, पोर्टिको एवं गार्ड रूम का निर्माण पाया गया है तथा 36 मीटर की लम्बाई में 3 मीटर ऊंची निर्माणाधीन दीवार भी पाई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस भूखण्ड पर आवंटन के कई वर्षों के उपरान्त भी उद्योग की स्थापना नहीं की गई, जो कि आवंटन की मूल भावना के विपरीत है।
4. उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र के नियम संख्या–15 एवं पंजीकृत अनुज्ञप्ति अनुबन्ध के नियम संख्या–1 का उलंघन किया गया है एवं आवंटन की तिथि से लगभग 12 वर्षों तक उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है। अभी भी मौके पर बाउण्ड्री का निर्माण किया गया है।

ऐसी स्थिति में भूखण्ड निरस्तीकरण का आदेश सर्वथा उचित है। उपरोक्त विवेचना के संबंध में पुनरीक्षण कर्ता की याचिका बलहीन सिद्ध होती है तद्नुसार एतदद्वारा पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या–3755(1)/77–4–23तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
2. श्री रमन कुमार साहनी पुत्र स्व0 मेहर चन्द साहनी, निवासी मकान नं0 ए–5 राम नगर कालोनी, मोहदीपुर, गोरखपुर।
3. श्रीमती सीमा मिश्रा, निदेशक मे0 श्री ज्ञान गंगा एरिगेशन प्रा0लि0, प्लाट नं0 3, लेन नं0 4, डा0 एस.पी. सिन्हा गली, निकट कृष्णा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर–2 रानीबाग, गोरखपुर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।